

फर्द अहकाम

बनाम राजू अहकाम

डिप्टी डिवीजनल
जयपुर

आज्जा विस्तृत रूप से

आज्जा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्जा या कार्यवाही

28.06.18

श्रीमती राजाजी लक्ष्मि देवी एका अहकाम
श्रीमती अशुपाल के नाम होने से एका श्रीमती अशुपाल
का स्वामित्व होने से उक्त विवाह सारणी से
श्रीमती अशुपाल का नाम हटया जाए वादी
अम्बरी के नाम ही विवाह सारणी के गद
रखने का फर्द की दिनांक 11.7.2012 को
आमेरि डिप्टी के निर्णय पत्रि विवाह
गया है। वादी के द्वारा श्रीमती अशुपाल का हस्त
पत्र भी जारी किया है उसी उक्त विवाह
पत्रि प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 26/4/12
को श्रीमती अशुपाल की हस्तु होना बताया गया
है। इन उक्त वादी का वाद पत्र डिप्टी विवाह
जाना उचित धरते होंगे है।

महो. लोक नगरपाली मदनको मध्य
नगर स्थित हुए दाया वादी के हस्त में पिकी
विवाह जात है कि सारणी (संख्या नं. 7150
(क. 0.50 है) सम्पूर्ण (सं. नं. 7151 (क. 0.40) है
सं. नं. 7152 भाग (सं. नं. 7153) (क. 0.00) है। विवाह 215 भाग वापे वापे विवाह
नदली 215 भाग में दर्ज वादी अम्बरी जो कि
अमेरि एका श्रीमती अशुपाल धर्म पति मनेज अशुपाल
जो कि मगज क. 16 मगसेन कोलेरी 26 मगसेनी
अशुपाल का नाम हणक विवाह जात वादी
डिप्टी डिवीजनल जयपुर आमेरि डिप्टी
कार्यालय 16 मगसेन कोलेरी 26 मगसेनी 26 मगसेनी
को उक्त विवाह हो कि विवाह जात है।
हस्तु सारणी राजत्व लिपि के मगज सारत है।
ज्या उक्त जारी है। मदेश हुका अशुपाल
अशुपाली विवाह हुका होत साक्षि
दपत है।

(रवि विवाह)
मुख्य अधिकारी
जयपुर, जिला-जयपुर (राज.)